



2026:AHC:172153

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या - 24109/2026

श्रीमती रंभा देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: प्रदीप कुमार सिंह, विनीत कुमार यादव

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 18

माननीय न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-प्रत्युत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. श्री सुधीर भारती ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 10 की ओर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
3. वर्तमान रिट याचिका उ.प्र. राजस्व संहिता की धारा 331(3) के अंतर्गत अपर आयुक्त (प्रशासन-तृतीय), गोरखपुर मंडल, गोरखपुर द्वारा वाद संख्या 787 वर्ष 2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी202405000000787), श्रीमती रंभा देवी बनाम श्रीमती छठिया देवी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.04.2026 को उत्प्रेषण रिट की प्रकृति में निरस्त करने की प्रार्थना के साथ योजित की गई है। एक अग्रिम प्रार्थना परमादेश रिट की प्रकृति में जारी करने के लिए की गई है, जिसके द्वारा प्रत्युत्तरदाता प्राधिकारियों को विद्वान अपर आयुक्त (प्रशासन), गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान विवादित भूमि पर यथास्थिति (स्टेटस क्वो) बनाए रखने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा योजित स्थगन आवेदन पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. जिस प्रकार का आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित है, उसके दृष्टिगत प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 से 9 को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि ग्राम बलुआ अफ़ग़ान, टप्पा घंटी, परगना सलेमपुर मजौली, तहसील भाटपार रानी, जिला देवरिया में स्थित अराजी संख्या 1876 क/क्षेत्रफल 0.032 हेक्टेयर, 2116/क्षेत्रफल 0.016 हेक्टेयर, 2165/क्षेत्रफल 0.069 हेक्टेयर और अराजी संख्या 3132/क्षेत्रफल 0.316 हेक्टेयर के बंटवारे के लिए उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम, 1950 की धारा 176 के अंतर्गत विवादित संपत्ति के संबंध में वाद संख्या 279 योजित किया गया था और अंततः उसे आदेश दिनांक 24.12.2014 द्वारा आज्ञापित कर दिया गया था।

6. यह प्रस्तुत किया गया है कि, उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर एक पुनर्स्थापन (रेस्टोरेशन) आवेदन योजित किया था कि उस पर किसी नोटिस की तामील नहीं की गई थी। उक्त पुनर्स्थापन आवेदन को भी आदेश दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था।

7. तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के समक्ष दिनांक 15.04.2024 को उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 331 के अंतर्गत एक स्थगन आवेदन के साथ अपील संख्या 787 वर्ष 2024, *श्रीमती रंभा देवी बनाम श्रीमती छठिया देवी एवं अन्य* योजित की। उक्त स्थगन आवेदन दिनांक 15.04.2024 को आदेश दिनांक 11.04.2025 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तदन्तर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.03.2026 को एक दूसरा स्थगन आवेदन दाखिल किया, जिसे भी आक्षेपित आदेश दिनांक 16.04.2026 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि उपर्युक्त आदेश चुनौती के अधीन हैं, जिसका मुख्य आधार यह है कि बंटवारे के वाद में पारित मूल डिक्री याचिकाकर्ता पर नोटिस की तामील के बिना तैयार की गई थी।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, यद्यपि, यह प्रस्तुत किया कि यदि यह न्यायालय स्थगन आवेदनों को निरस्त करने वाले आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो याचिकाकर्ता द्वारा योजित अपील को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली समय-सीमा के भीतर शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश दिया जाए।

10. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आवेदन को पहले ही दो बार निरस्त किया जा चुका है और वर्तमान रिट याचिका में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं बताई गई है या अभिलेख पर नहीं लाई गई है जो अंतरिम अनुतोष को निरस्त करने वाले आदेशों में हस्तक्षेप को न्यायसंगत बनाती हो। यद्यपि, उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि यदि विद्वान अपर आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के समक्ष लंबित अपील के त्वरित निस्तारण के लिए कोई उचित निर्देश जारी किया जाता है, तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

12. तदनुसार, पक्षकारगण के संबंधित दावों के गुण-दोष पर कोई भी विचार व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को विद्वान अपर आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, जिनके समक्ष अपील संख्या 787 वर्ष 2024, *श्रीमती रंभा देवी बनाम श्रीमती छठिया देवी एवं अन्य* लंबित है, कि वे सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो, तो इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः चार माह की अवधि के भीतर उक्त अपील पर विचार करें और शीघ्रता से उसका निर्णय करें।

13. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विद्वान अपीलीय प्राधिकारी उपर्युक्त अवधि के भीतर अपील का निर्णय करने का पूरा प्रयास करेंगे और किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन (तारीख) प्रदान नहीं करेंगे।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने अपील में अंतर्ग्रस्त विवाद के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। अपीलीय प्राधिकारी इस आदेश में किए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना, कड़ाई से विधि के अनुसार अपील का निर्णय करेंगे।

15. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह)

14 अगस्त, 2026

सुमैरा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।